उत्तर प्रदेश शासन
साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग
संख्या–186के/छः–सानिप्र–19–15(25)/2018
लखनऊः दिनांक 09 मार्च, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

अवगत हैं कि केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन के दौरान शहीद जवानों के आश्रित को शासनादेश संख्या–134पी/छः–पु0–14–100(9)/14, दिनांक–10 सितम्बर, 2014 द्वारा रूपये–20.00 लाख की अनुग्रह आर्थिक सहायता तथा शासनादेश संख्या–सी0एम0–102पी/छः–पु–6–16–100(09)/14, दिनांक–20 दिसम्बर, 2016 द्वारा शहीद के माता–पिता को रूपये–5.00 लाख की अनुग्रह आर्थिक सहायता अनुमन्य है।

2. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों अथवा भारतीय सेना के शहीद जवानों के आश्रित को अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–134पी/छः–पु0–14–100(9)/14, दिनांक–10.09.2014 एवं सपठित शासनादेश संख्या–सी0एम0–102पी/छः–पु–6–16–100(9)/2014, दिनांक–20.12.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा जो केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों अथवा भारतीय सेना (तीनो अंगों–थल, जल एवं वायु) में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन/ड्यूटी के दौरान आतंकवाद, अतिवादी, अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर दुश्मन से झड़प, छुट–पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/ आतंकवादियों/अतिवादी गतिविधियों, विस्फोटकों की हैण्डलिंग, चिकित्सकीय कारणों/अति दुर्लभ पहाड़ी ऊचाईयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक आपदाओं अथवा अति खराब मौसम/दुर्घटना इत्यादि के फलस्वरूप मृत्यु हो जाये तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी जो भारतीय सेना अथवा केन्द्रीय/अन्य राज्यों के अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत हों तथा जिनकी कर्तव्य पालन के दौरान इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाने पर शासनादेश संख्या–134पी/छः–पु0–14–100(9)/14, दिनांक–10.09.2014 द्वारा शहीद के आश्रित/परिवार हेतु अनुमन्य धनराशि रूपये–20.00 लाख तथा शासनादेश संख्या–सी0एम0–102पी/छः–पु–6–16–100(09)/2014, दिनांक–20.12.2016 द्वारा शहीद के माता–पिता को अनुमन्य धनराशि रू–5.00 लाख निम्नानुसार वितरित की जायेगी :–

(1) यदि शहीद विवाहित है तथा उसके माता–पिता में से एक या दानों जीवित हैं तो शहीद के परिवार हेतु उसकी पत्नी को तथा माता–पिता अथवा उसमें से जो कोई जीवित हों को माता–पिता हेतु अनुमन्य धनराशि प्रदान कर दी जाये।

(2) शहीद के विवाहित होने तथा माता–पिता में से किसी एक के भी जीवित नहीं होने की दशा में माता–पिता को अनुमन्य धनराशि भी शहीद की पत्नी को वितरित कर दी जाये।

(3) शहीद के अविवाहित होने की स्थिति में शहीद के परिवार हेतु अनुमन्य धनराशि उसके माता–पिता अथवा उसमें जो भी जीवित हो को वितरित कर दी जाये।

3. वर्णित स्थिति में प्रश्नगत संदर्भित शासनादेश संख्या–134पी/छः–पु0–14–100(9)/14, दिनांक–10 सितम्बर, 2014 एवं सपठित शासनादेश संख्या–सी0एम0–102पी/छः–पु–6–16–100(09)/2014, दिनांक–20 दिसम्बर, 2016 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव, गृह

संख्या–186के(1)/छः–सानिप्र–2019 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में बजट आवंटन हेतु।

3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / आडिट प्रथम, प्रयागराज।
4. समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. पुलिस महानिरीक्षक, मध्य सेक्टर मुख्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, टी.सी.–32 / वी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
11. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
12. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
13. गृह (पुलिस) अनुभाग–6, तथा 10
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्याधिकारी